

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

पत्रांक-प्र04/ख.वि.अधि.-01/2014- 8785

खाद्य, पटना/ दिनांक- 19.11.14

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,  
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त  
सभी जिला पदाधिकारी।

**विषय:-** विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से खरीफ विपणन मौसम 2014-15 अन्तर्गत धान/चावल की अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश।

महाशय,

राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2014-15 के लिए 30 लाख मे0टन धान की अधिप्राप्ति (न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो सांकेतिक है या उतनी मात्रा जिससे यह सुनिश्चित हो कि बाजार दर न्यूनतम समर्थन मूल्य के समतुल्य पर उससे अधिक रहे। अतः आवश्यक है कि इस वर्ष भी अधिप्राप्ति के लिए विशेष व्यवस्था की जाय ताकि यह सुनिश्चित हो कि क्रय किसानों से हों, व्यापारियों या बिचौलियों से नहीं। धान की अधिप्राप्ति विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के अन्तर्गत की जा रही है जिसके अन्तर्गत पैक्स, व्यापार मंडल एवं निगम क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्ति किये गये धान का सी0एम0आर0 नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य निगम के द्वारा चिन्हित एवं एकरारनामित मिल पर एवं पैक्स संचालित मिल पर तैयार कर सी0एम0आर0 जमा किया जायेगा तथा उक्त सी0एम0आर0 (चावल) का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार के अन्य कल्याणकारी योजनान्तर्गत किया जायेगा। राज्य सरकार ने पूर्व वर्ष की भाँति इस वर्ष भी अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य सदृश प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। खरीफ विपणन मौसम 2014-15 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य धान साधारण 1360/- रू0 एवं धान ग्रेड "ए" 1400/- रू0 प्रति क्वी0 निर्धारित किया गया है। धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक 25.11.14 से 15.04.2015 तक तथा सी0एम0आर0 का कार्यक्रम दिनांक 30.09.15 तक प्रभावी रहेगा।

2. **अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें**

- खरीफ विपणन मौसम 2014-15 अन्तर्गत धान की अधिप्राप्ति पूर्व व्यवस्था के तहत विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) योजना के माध्यम से किया जायेगा।
- अधिप्राप्ति किये गये धान का सी0एम0आर0 नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य निगम एवं पैक्स द्वारा तैयार कर तथा उसकी गुणवत्ता की जाँच कर उक्त सी0एम0आर0 का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत किया जायेगा।
- अधिप्राप्ति कार्य हेतु राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है।
- किसानों से धान का क्रय की कार्रवाई मुख्यतः पैक्स, व्यापार मंडल एवं निगम संचालित क्रय केन्द्र के माध्यम से किया जाना है।
- इस वर्ष पैक्स अधिक प्रभावी रूप में धान अधिप्राप्ति के साथ-साथ पैक्स संचालित मिल पर मिलिंग कार्य करके सी0एम0आर0 निगम के पास जमा करेगी।

- एकरारनामित मिल से प्राप्त अग्रिम सी0एम0आर0 के समानुपातिक अधिप्राप्ति धान को निगम द्वारा मिल को उपलब्ध कराया जायगा।
- वैसे पंचायत जहां के पैक्स किसी कारणवश अधिप्राप्ति हेतु सक्षम नहीं हैं वहाँ के किसानों से सीधे राज्य खाद्य निगम अपने क्रय केन्द्र के माध्यम से धान क्रय करेगा। इस प्रयोजनार्थ राज्य खाद्य निगम प्रत्येक प्रखंड में आवश्यकतानुसार न्यूनतम एक क्रय केन्द्र स्थापित करेगा।
- किसानों को धान के विरुद्ध पैक्स एवं निगम क्रय केन्द्र से R.T.G.S/NEFT अथवा Account Payee cheque के माध्यम से रूप से क्रय के बाद भुगतान किया जायेगा। प्रारंभ में यह व्यवस्था राईस बॉल वाले जिलों (पटना, नालन्दा, भोजपुर, सासाराम, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, गया एवं नवादा आदि) में प्राथमिकता अनुसार प्रारंभ कर शेष जिलों में कार्यान्वित होगा।
- पूरे राज्य में क्रय किये गये धान की मिलिंग की व्यवस्था बिहार राज्य खाद्य निगम के द्वारा एकरारनामित मिलर से की जायेगी एवं पैक्स एवं व्यापार मंडल के द्वारा 4 लाख मे0टन सी0एम0आर के समतुल्य धान की कुटाई पैक्स/सहकारिता संचालित/निगम द्वारा पंजीकृत मिल के माध्यम से की जायेगी। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा शेष अधिप्राप्त धान मिलिंग हेतु निगम को हस्तगत कराया जायेगा।
- धान अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति का कार्य राज्य खाद्य निगम सरकार के निर्णयानुसार नोडल एजेन्सी के रूप में करती है। धान अधिप्राप्ति में संबद्ध सभी राशि सरकारी राशि है।
- धान अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति का कार्य भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑन लाईन प्रॉक्युरमेंट सिस्टम (OPMS) के माध्यम से चरणबद्ध रूप से सम्पन्न होगा।
- राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अक्षरशः अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से अविलम्ब कर ली जाय।

### 3. लक्ष्य का निर्धारण

इस वर्ष राज्य में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 30.00 लाख मे0टन रखने का निर्णय लिया गया है, जिसमें विभिन्न एजेन्सियों का लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है:-

	(मे0टन में)
बिहार राज्य खाद्य निगम	6.00 लाख
पैक्स/व्यापार मंडल	24.00 लाख
कुल	30.00 लाख

सम्यक् विचारोपरान्त खरीफ विपणन मौसम 2014-15 अन्तर्गत जिलावार निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य इस पत्र के साथ संलग्न है। आपसे यह भी अपेक्षा है कि इस लक्ष्य को आप अपने स्तर से प्रखण्डवार/पंचायतवार निर्धारित करें ताकि अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पैक्स एवं बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पर्याप्त तैयारी ससमय की जा सके। उल्लेखनीय है कि धान अधिप्राप्ति का यह लक्ष्य न्यूनतम है एवं किसी जिला या अभिकरण द्वारा इस लक्ष्य से अधिक भी अधिप्राप्ति की जा सकती है।

### 4. क्रय केन्द्रों का निर्धारण

खरीफ विपणन मौसम 2014-15 अन्तर्गत किसानों से धान का क्रय मुख्य रूप से पैक्सों द्वारा किया जायेगा, लेकिन प्रत्येक प्रखंड में बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा एक क्रय केन्द्र की स्थापना की जायेगी। मूलरूप से क्रय केन्द्र स्थापित करने की

जिम्मेवारी पैक्स एवं बिहार राज्य खाद्य निगम की है। आप यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले में सभी क्रय केन्द्रों में निम्नांकित तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं:-

- क्रय केन्द्रों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना का बैनर/दीवार अभिलेखन।
  - क्रय केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण की व्यवस्था।
  - माप तौल यंत्र की व्यवस्था।
  - Moisture Meter की व्यवस्था एवं Calibration।
  - पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था।
  - माप दंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था।
  - पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था।
  - केन्द्र के आस-पास पर्याप्त खुले स्थान का होना।
  - विहित प्रक्रिया के अनुरूप पंजियों का संधारण।
  - किसानों को आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट अथवा Account Payee cheque के माध्यम से अविलम्ब भुगतान हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन।
  - प्रत्येक दिन किसानों से प्राप्त किये गये धान को निर्धारित आवश्यकतानुसार बेस गोदाम/अन्य एकरारनामित मिल पर पहुँचाने हेतु परिवहन व्यवस्था।
  - पैक्स एवं निगम क्रय केन्द्र द्वारा प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यों की निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी MS-Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रखण्ड कम्प्युटर केन्द्र में भेजने की व्यवस्था।
  - पैक्स द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों में किसानों की सूची का संधारण।
  - पैक्स द्वारा अभियान चलाकर मात्र अधिप्राप्ति हेतु अस्थायी सदस्यों का नामांकन।
  - पैक्स एवं निगम क्रय केन्द्र पर धान उपलब्ध कराने वाले सभी कृषकों से धान प्राप्ति के उपरान्त प्राप्ति रसीद संबंधित पदाधिकारी उपलब्ध करायेंगे।
- कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले में उपर्युक्त तैयारियों के साथ दिनांक 25.11.2014 से निर्धारित धान अधिप्राप्ति/क्रय केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाय।

#### 5. भंडारण की व्यवस्था

बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक बाजार समिति प्रांगण में गोदाम/कैप भंडारण की व्यवस्था की जा रही है। पूर्व में दिये गये निदेश के अनुसार जिले में अवस्थित बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध गोदाम, औद्योगिक क्षेत्र के प्रांगण क्षेत्र में अवस्थित गोदाम, टाउन हॉल, खाली पड़े बिहार राज्य वित्त निगम, चयनित मिलर का गोदाम एवं अन्य संस्थाओं के गोदाम/कोल्ड स्टोरेज तथा बड़े-बड़े निजी गोदामों का सर्वेक्षण कराकर इसे भंडारण हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अगर राज्य खाद्य निगम को निर्धारित दर पर निजी गोदाम उपलब्ध नहीं होता है तो उन गोदामों का किराया संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-गृह नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से निर्धारित कराकर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करायी जाय। तदनुसार राज्य खाद्य निगम द्वारा निजी गोदामों के किराये का भुगतान किया जायगा। साथ ही साथ राज्य खाद्य निगम के द्वारा एकरारनामित एवं चयनित मिल जो धान क्रय केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे के गोदाम भी धान भंडारण हेतु प्रयुक्त होंगे एवं निगम के धान अधिप्राप्ति क्रियाशील गोदामों पर निम्न व्यवस्था रहेगी:-

- निर्धारित माप दंड के अनुरूप ड्रेनेज मटेरियल की उपलब्धता।
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप तारपोलिन/तिरपाल की उपलब्धता।

- निर्धारित माप दंड के अनुरूप नाइलन की रस्सी (यदि घेराबन्दी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो)।
- कैंप कार्यालय की व्यवस्था।
- पर्याप्त लाईटिंग की व्यवस्था।
- अग्नि शामक यंत्र की व्यवस्था।
- सुरक्षा की व्यवस्था।
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता।
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण।
- प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में MS-Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार कराकर प्रखण्ड/अनुमण्डल कार्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
- बेस गोदाम से मिलिंग हेतु सम्बद्ध मिल एवं राज्य से बाहर भेजने हेतु परिवहन की व्यवस्था।
- खाद्यान्न की भंडारण की सीमित क्षमता को दृष्टिपथ रख खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण हेतु समुचित भंडारण क्षमता के गोदाम के निर्माण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा निकट भविष्य में कई नये निर्मित खाद्यान्न भंडारण गोदाम उपलब्ध होने की प्रबल संभावना है। वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा कैंप स्टोरेज हेतु निर्धारित मानक एवं प्रक्रिया का अनुपालन अपेक्षित है, जो निगम मुख्यालय के पत्रांक 1269 दिनांक 6.2.2013 के माध्यम से संसूचित किया गया है।

#### 6. मिलिंग की व्यवस्था

निगम के मिल परिसर स्थित क्रय केन्द्र में अधिप्राप्त धान को एकरारनामित मिलर के माध्यम से मिलिंग कराकर चिन्हित सी0एम0आर0 गोदाम पर अग्रिम सी0एम0आर0 उपलब्ध कराया जायगा तथा पैक्स मिलिंग हेतु (निर्धारित लक्ष्य 4 लाख मे0टन) प्राथमिकतानुसार क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्त धान को प्रथमतः सहकारिता विभाग द्वारा संचालित राईस मिल अथवा पंजिकृत राईस मिलों में मिलिंग कराकर संबद्ध सी0एम0आर0 गोदाम में हस्तगत करायेंगे एवं लक्ष्य के अतिरिक्त अधिप्राप्ति धान को राज्य खाद्य निगम को मिलिंग हेतु उपलब्ध करायेंगे। पैक्स द्वारा अधिप्राप्त धान का भुगतान निगम द्वारा सी0एम0आर0 जमा होने के अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर मिलिंग चार्ज एवं अनुमान्य व्यय सहित भुगतान किया जायगा। एकरारनामित मिलर के द्वारा (मिलिंग क्षमता के अनुरूप) जमा अग्रिम सी0एम0आर0 के समानुपातिक अधिप्राप्त धान मिलर को निगम क्रय केन्द्र/बेस गोदाम से उपलब्ध कराया जायेगा। पैक्स के द्वारा जो अधिप्राप्त धान (4 लाख मे0टन के अतिरिक्त) सिधे निगम के क्रय केन्द्र पर जमा होंगे, उसका विपत्र का भुगतान अधिकतम एक सप्ताह निगम द्वारा भुगतान किया जायेगा। जिले में/जिले से बाहर उपलब्ध राईस मिल (राज्य के पड़ोसी जिलों सहित) से सभी पैक्स/क्रय केन्द्रों को टैग कर लिया जाय। कृपया यह पुनः सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्ण कर लिया गया हो। इसके अलावा मिलिंग से संबंधित निम्न कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाय:-

- वैसे प्रमादी मिलर गत वर्षों में निर्धारित अवधि में सी0एम0आर0 हस्तगत कराने में असफल रहे हैं, वे अवशेष सी0एम0आर0 का समतुल्य राशि निगम खाता में जमा कर देते हैं तो खरीफ विपणन मौसम में अधिप्राप्ति धान की कुटाई हेतु एकरारनामा के पात्र होंगे।
- राज्य खाद्य निगम द्वारा मिलरों से एकरारनामा करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि संबंधित मिलर द्वारा अग्रिम सी0एम0आर0 लॉट के विरुद्ध समानुपातिक

अधिप्राप्ति धान से अधिक मात्रा में अगर अधिप्राप्ति धान की आपूर्ति की जाती है तो संबंधित मिल के मिलिंग क्षमता के आलोक में ही निगम मिल द्वारा Bank Guarantee प्राप्त करेगी तथा धान की मात्रा विहित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध करायी जाय ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी/गबन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई/वसूली में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

- एकरारनामित मिलों के चयन के पूर्व संबंधित जिला प्रबंधक एवं जिला में पदस्थापित एवं अधिप्राप्ति कार्य के लिए मनोनित वरीय उपसमाहर्ता द्वारा संयुक्त रूप से पंजिकृत मिलों के भौतिक सत्यापन के क्रम में मिल के मालिक का नाम एवं पता तथा उद्योग विभाग द्वारा मिल के मालिक के नाम में निर्गत अनुज्ञप्ति की अद्यतन स्थिति, अधिष्ठापित उपस्कर के आलोक में दैनिक/मासिक मिलिंग की क्षमता, मिल के सम्प्रति कार्यरत रहने संबंधित प्रमाण पत्र की जाँच एवं मिल परिसर में छतदार भंडारण की क्षमता का व्यवहारिक आकलन कर ली जाय। इस क्रम में विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर छद्म मिल/मिलर तथा गत खरीफ विपणन मौसम में शत-प्रतिशत सी0एम0आर0 नहीं हस्तगत कराने वाले मिल से एकरारनामा नहीं की जाय।
- राज्य खाद्य निगम द्वारा पंजिकृत मिलरों से एकरारनामा करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि संबंधित मिलर द्वारा समर्पित Bank Guarantee के अनुरूप/अनुपात तथा संबंधित मिल के मिलिंग क्षमता के आलोक में अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त होने के पश्चात अधिप्राप्ति धान की मात्रा विहित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध करायी जाय साथ ही साथ भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी/गबन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई/वसूली में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
- उपर्युक्त प्रक्रिया के उपरांत मानक के अनुसार Short Listed किये गये पंजिकृत मिल के मालिकों के साथ जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाय जिसमें सरकार/निगम की अधिप्राप्ति के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मिलरों की भूमिका एवं मिलरों से अपेक्षाओं पर विचार विमर्श हो सके तथा विगत वर्षों में उत्पन्न व्यवधान के निराकरण हेतु समाधान पर भी विचारण हो सके। उक्त बैठक के उपरांत Short Listed मिल के मालिकों से एकरारनामा की जाये।
- प्रत्येक पैक्स को प्रतिदिन यह सूचना उपलब्ध होनी चाहिए कि क्रय किया गया धान किस मात्रा में संबद्ध मिल पर राज्य खाद्य निगम के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के माध्यम से मिल को मुहैया कराना है एवं कितनी मात्रा में राज्य खाद्य निगम द्वारा चिन्हित केन्द्रों पर संपूर्ण करना है।
- सभी संबद्ध पैक्स संचालक को उनके संबद्ध मिल पर प्रतिनियुक्त राज्य खाद्य निगम पदाधिकारी का मोबाईल नं० अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवा दिया जाय।
- प्रत्येक मिल पर सुचारु रूप से मिलिंग कार्य हेतु यह अनिवार्य है कि जिला एवं राज्य खाद्य निगम के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी मिलिंग के समय उपलब्ध हों एवं यह सुनिश्चित करें कि मिलिंग क्षमता का अधिकतम उपयोग हो रहा हो एवं क्षमता/भंडार से अधिक धान अनावश्यक रूप से वहां नहीं पहुँचाया जाय।
- मिल पर प्रतिनियुक्त जिला के पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि तैयार सी0एम0आर0 को भारत सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप पूर्व से चिन्हित बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 गोदाम में भेजे।
- मिल से बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 गोदाम में सी0एम0आर0 पहुँचाने हेतु पर्याप्त मात्रा में परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- मिल पर जिला एवं राज्य खाद्य निगम से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के लिए कैम्प ऑफिस की व्यवस्था की जाय।

